

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2952 / 2024

करण सिंह
परस राम
गोविंद सिंह
भूपेन्द्र कुमार
भरत पांडेय
राम लाल
सांवर लाल
बबलू सिंह
विजेन्द्र सिंह
ओम प्रकाश
रामराज मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, वित्त विभाग (नियम), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, कोटा सिटी।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2024

आदेश की दिनांक : 24.09.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरा लाल गोठवाल, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रारंभ में पुलिस विभाग में तकनीकी विंग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्तमान में अपीलकर्ता कांस्टेबल ड्राइवर, रिजर्व पुलिस के पद पर लाइन कोटा शहर में कार्यरत हैं। (अनुलग्नक-1) प्रत्यर्थी विभाग तकनीकी विंग में अपीलार्थी की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और तब से उन्हें भत्ता दिया जा रहा है। वर्तमान में अपीलार्थी तकनीकी विंग में प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय में तैनात हैं। कांस्टेबल के लिए भर्ती नियम के अनुसार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अपीलार्थी वर्ष 1998 बैच में पुलिस में नियुक्त हुए थे, तदनुसार उन्हें 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रथम चयनित वेतनमान प्रदान किया गया था। अपीलार्थी वर्ष 1998 से आज तक एमटी विंग में ड्राइवर के रूप में सेवारत हैं।

दिनांक 01.09.2006 से, 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप संशोधित वेतनमान लागू हुआ। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 बनाए, जिसके अनुसरण में कर्मचारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। अपीलार्थी को संशोधित वेतनमान नियमों की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर उपरोक्त नियमों में उल्लिखित तिथियों में से किसी एक से संशोधित वेतनमान द्वारा शासित होने या मौजूदा वेतनमान द्वारा शासित होना जारी रखने का विकल्प देना आवश्यक था। अपीलार्थी 1998 में कांस्टेबल ड्राइवर के रूप में नियुक्त हुए थे, उन्होंने 2016 में 18 साल की सेवा पूरी कर ली है। अपीलार्थी तकनीकी विंग से संबंधित हैं और अगला उच्च ग्रेड वेतन 9300—34800/4200 जीपी यानी उप—निरीक्षक (एल—II) का है, लेकिन उन्होंने अपीलार्थी को 9300—34800/3600 (जीपी) यानी सहायक उप—निरीक्षक के वेतन बैंड में तय किया है, जो पद पदोन्नति पद के पदानुक्रम में नहीं है। नए वेतनमानों द्वारा शासित होने के विकल्प के कारण पहले दिन से ही उसका वेतन कम वेतन बैंड पर तय किया जाएगा और विकल्प के निहितार्थ को न समझने के कारण उसे इस संबंध में नुकसान उठाना पड़ेगा। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है और उसे अपीलार्थी की तुलना में अधिक वेतन मिल रहा है, जबकि अपीलार्थी को कनिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के स्थान पर एमटी संवर्ग में अगले पदोन्नति पद के रूप में उप निरीक्षक का वेतनमान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एमटी संवर्ग में कोई पद नहीं है। पुलिस में तकनीकी विंग के रूप में कार्यरत पदधारी पद के वेतन बैंड से संबंधित भुगतान उच्चतर/पदोन्नति पद के वेतन बैंड के लिए पात्र होंगे। अपीलार्थी पहले निर्धारित वेतन बैंड के अनुसार वेतन का लाभ उठा रहे हैं और जिसके कारण अपीलार्थी अन्य पदाधिकारियों की तुलना में उच्च वेतन पाने के हकदार हैं, वे अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत प्रदान किए गए पदानुक्रम पद के अनुसार नागरिक पुलिस से संबंधित हैं। अन्य जोन में तकनीकी विंग में कार्यरत कांस्टेबल 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 4200 रुपये के उच्च ग्रेड में तय हुए हैं, जहां अपीलार्थी जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है, 3600 रुपये के ग्रेड में तय हुए हैं, इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए कि हेड कांस्टेबल का अगला पदोन्नत पद सब—इंस्पेक्टर है और वे 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद एसआई के पद का लाभ पाने के हकदार हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को एसआई के ग्रेड वेतन में तय किया है, जो पद अपीलार्थी के पदोन्नति पदानुक्रम के संवर्ग में

नहीं है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय प्रिंसिपल सीट जोधपुर में याचिका दायर की, इस विवाद का समाधान इस माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3873/2019 (अमर सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य और अन्य संबंधित रिट 07.12.2023 को सुरक्षित रखा गया और 20.12.2023 को सुनाया गया। (अनुलग्नक-3) अपीलार्थी को कांस्टेबल (ड्राइवर) विंग के रूप में नियुक्त किया गया था और तकनीकी संवर्ग में चार पद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, प्लाटून कमांडर (सब-इंस्पेक्टर) एवं कंपनी कमांडर (इंस्पेक्टर) उपलब्ध है। तकनीकी संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों को 9 वर्ष, 18 वर्ष तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयन ग्रेड का लाभ दिया जाता है, क्योंकि तकनीकी संवर्ग में प्रथम पदोन्नति पद कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, द्वितीय पदोन्नति पद प्लाटून कमांडर (उपनिरीक्षक) तथा तृतीय पदोन्नति पद कमांडर (निरीक्षक) है तथा तकनीकी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी 18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उपनिरीक्षक/निरीक्षक के वेतनमान के समतुल्य चयन ग्रेड पाने के हकदार हैं, क्योंकि इस संवर्ग में सहायक उपनिरीक्षक का पद उपलब्ध नहीं है। (अनुलग्नक-5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को एम.टी. संवर्ग अर्थात् उप निरीक्षक के अनुसार अगले पदोन्नति पद के वेतनमान लाभ एवं सभी परिणामी लाभों के साथ द्वितीय चयन वेतनमान प्रदान कराया जावे। साथ ही एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3873/2019 (अमर सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) तथा अन्य संबंधित रिट दिनांक 07.12.2023 को सुरक्षित तथा दिनांक 20.12.2023 को सुनाए गए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के आलोक में कोई अन्य अपील आदेश या निर्देश जारी कराए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए

न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य